2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज किशनाराम गोदारा बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बावड़ी) सू.अ.अ. अपील संख्या 26 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.03.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी किशनाराम गोदारा, पता ग्राम पंचायत चांदरख तहसील बावड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.12.2017 में उसके द्वारा (1) राजस्व लोक अदालत द्वारा न्याय आपके द्वार–2017 राजस्थान सरकार, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के आदेश कमांक / कोर्ट / 2017 / 446 दिनांक 31.05.2017 के आदेश की पालना हुई है या नहीं की सत्यापित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बावड़ी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बावड़ी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बावड़ी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बावड़ी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	